12.07.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कोचरिया प0ह0 कोचरिया तहसील भीलवाडा व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 180 में स्थित आराजी संख्या 1208, 1211, 1216, 1324/1, 1332/2, 1337/1, 1341, 1483/1, 1521/1350, 1551/1327 कुल किता 10 रकबा 2.5037 हैक्टेयर भूमि खाता संख्या 05 के आराजी संख्या 1466, 1467, 1468, 1469, 1471 किता 05 कुल रकबा 1.6944 हैकटेयर भूमि खाता संख्या 419 आराजी संख्या 1472 रकबा 2.1244 हैक्टेयर भूमि खाता संख्या 06 आराजी संख्या 1436, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459 किता 06 रकबा 4.9189 हैक्टेयर भूमि खाता संख्या 420 आ.नं. 1454 रकबा 0.7840 हैक्टेयर भूमि एवं ग्राम सुन्दरपुरा प0ह0 कोचरिया तहसील भीलवाडा के खाता संख्या 04 आराजी संख्या 21, 24, 25, 26, 619/25 किता 05 रकबा 3.0600 हैक्टेयर भूमि खाता संख्या 03 आराजी संख्या 721/21 किता 01 रकबा 0.3794 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती खाते की होकर अविभाजित कृषि आराजियात है। उक्त कृषि आराजियात का विभाजन नही होने से पक्षकारान के मध्य आये दिन वाद विवाद होता रहता है तथा प्रतिवादीगण बिना विभाजन कराये भूमि को बेचान करने पर आमादा है। प्रकरण में दिनांक 20.12.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक जारी करायी जाने की प्रार्थना की है।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की संयुक्त शामलाती कृषि आराजियात है जो मौके पर अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग व काश्त करते चले आ रहे है प्रार्थीगण व विपक्षीगण सहखातेदार काश्तकार होने से सहखातेदार काश्तकार के विरूद्व प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का इसी स्तर पर खारिज कराया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन् किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति परीक्षण किया। ग्राम कोचरिया प0ह0 कोचरिया तहसील भीलवाडा व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 180 में स्थित आराजी संख्या 1208, 1211, 1216, 1324/1, 1332/2, 1337/1, 1341, 1483/1, 1521/1350, 1551/1327 कुल किता 10 रकबा 2.5037 हैक्टेयर भूमि खाता संख्या 05 के आराजी संख्या 1466, 1467, 1468, 1469, 1471 किता 05 कुल रकबा 1.6944

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

हैक्टेयर भूमि खाता संख्या 419 आराजी संख्या 1472 रकबा 2.1244 हैक्टेयर भूमि खाता संख्या 06 आराजी संख्या 1436, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459 किता 06 रकबा 4.9189 हैक्टेयर भूमि खाता संख्या 420 आ.नं. 1454 रकबा 0.7840 हैक्टेयर भूमि एवं ग्राम सुन्दरपुरा प0ह0 कोचरिया तहसील भीलवाड़ा के खाता संख्या 04 आराजी संख्या 21, 24, 25, 26, 619/25 किता 05 रकबा 3.0600 हैक्टेयर भूमि खाता संख्या 03 आराजी संख्या 721/21 किता 01 रकबा 0.3794 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती खाते की होकर अविभाजित कृषि आराजियात है। संयुक्त शामलाती खाते की भूमि में प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही होने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनता है एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का सिद्व नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतःएवं

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का विरूद्व विपक्षीगण सिद्व नही होने से खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा